राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 114–तीन/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–5–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमाकंन आदेश दिनांक 18–7–14 की सत्य प्रतिलिपि एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । सीमाकंन पंचनामें एवं सीमाकंन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौके पर राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी के साथ पड़ोसी कृषकों सहित उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाकंन किया गया है । सीमाकंन पंचनामें से यह भी स्पष्ट है कि सीमाकंन के समय स्थल पर आवेदक उपस्थित रहा है, परन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक पर सीमाकंन किये जाने संबंधी सूचना पत्र तामील नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता हो आवेदक पर सीमाकंन संबंधी सूचना पत्र तामील नहीं हुआ है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 18–7–14 में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि यदि अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा नहीं है, तब वह अपनी भूमि का सीमाकंन कराकर उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट कर सकता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

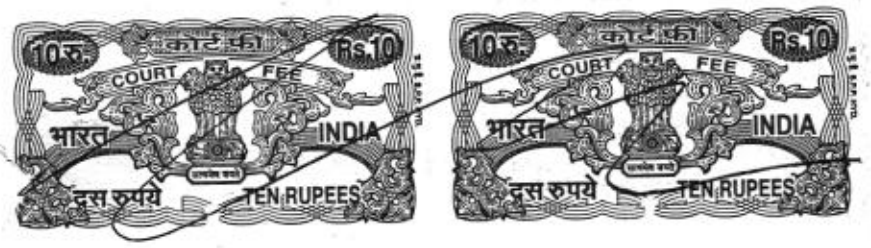

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्रमांक
A-114-III-15

राजेश पाटीदार पुत्र श्री भेरूलाल पाटीदार
आयु 55 वर्ष निवासी–जावर तहसील जावर
जिला सीहोर (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

गोविन्द सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सोनी
आयु 45 वर्ष निवासी–बुधवारा, आष्टा
जिला सीहोर (म0प्र0) --- अनावेदक

अपील अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में पारित आदेश दि.18.07.2014 प्रकरण क्रमांक– 67/अ–12/2012–13 गोविन्द सोनी विरूद्ध राजेश पाटीदार में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:–